

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :-
प्रेषक,

रा0खा0आ0 (विविध) 26/2021- 280

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 16.03.2022

विषय:- गोड्डा जिला के उपायुक्त के निष्क्रिय आचरण के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि दिनांक-25.11.2021 को माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा गोड्डा जिला के भ्रमण के क्रम में सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड के JSFC गोदाम का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता के संदर्भ में उपायुक्त, गोड्डा से आयोग के पत्रांक-780 दिनांक-26.11.2022 एवं पत्रांक-820 दिनांक-09.12.2021 से कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने का निदेश दिया गया था। कोई सूचना प्राप्त नहीं होने पर माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा उपायुक्त, गोड्डा को अर्द्धसरकारी पत्र सं0-42 दिनांक-17.01.2022 भी भेजा गया। परन्तु अबतक उपायुक्त, गोड्डा से इस संबंध में कोई जबाव प्राप्त नहीं है।

अतः उपायुक्त, गोड्डा से किए गए सभी पत्राचार की प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार आग्रह कि उक्त के संबंध यथोचित कार्रवाई की जाए ताकि सभी उपायुक्त, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रति संवेदनशील रहें।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक :- रा0खा0आ0 (विविध) 26/2021- 280

राँची, दिनांक:- 16.03.2022

प्रतिलिपि:- सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को निदेशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक :- रा0खा0आ0 (विविध) 26/2021- 280

राँची, दिनांक:- 16.03.2022

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची को निदेशानुसार सूचनार्थ समर्पित।

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।